संख्या-26/2018/2575/77-3-18-16(बजट)/2016

प्रेषक,

सीताराम यादव,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यूपीडा, पर्यटन भवन, गोमतीनगर,
लखनऊ ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-3 **लखनऊ:दिनांक: 24 अगस्त, 2018**

विषय:- यूपीडा द्वारा पूर्वान्चल एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु परियोजना विकास परामर्शी शुल्क के भुगतान के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2015/यूपीडा/08/147, दिनांक 03.08.2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-7 के लेखाशीर्षक- "2852-उद्द्योग-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-12-लखनऊ से आजमगढ़ के रास्ते बलिया तक एक्सप्रेसवे परियाजना-16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान" मद में प्राविधानित धनराशि रू0 4.50 करोड़(रूपये चार करोड़ पचास लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) धनराशि का आहरण करके यूपीडा के बैंक खाते में रखी जायेगी और नियमानुसार परीक्षण करके धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा।

(2) यूपीडा का यह भी दायित्व है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र यथा समय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा । उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर व्यय की गई धनराशि से अपने को पूर्णरूप से संतुष्ट कर लेंगे।

(3) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोंपरान्त किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30.03.2018 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.nic.in

2. उपर्युक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत की जा रही धनराशि रू0 4.50 करोड़(रूपये चार करोड़ पचास लाख मात्र) का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में उद्योग विभाग की अनुदान संख्या-7 के लेखाशीर्षक "2852-उदद्योग-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-12-लखनऊ से आजमगढ़ के रास्ते बलिया तक एक्सप्रेसवे परियाजना-16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान" के नामें डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30.03.2018 के प्राविधानो के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सीताराम यादव)
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या-26/2018/2575(1)/77-3-18, तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त ई-6/औद्योगिक विकास अनुभाग-2।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4 ।
7. गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(सीताराम यादव)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।